



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262210
CG-DL-E-02042025-262210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1524]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2025/चैत्र 11, 1947

No. 1524]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2025/CHAITRA 11, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

का.आ. 1542(अ).—पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 07 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं.का.आ.3846(अ.) के क्रम में, केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, एतद्वारा गुजरात में मुंद्रा पत्तन {मैसर्स अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लि. - मुंद्रा} के लिए पत्तनों पर नौचालन सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) के दिनांक 24.02.2025 के प्रमाण-पत्र सं.एनएसपीसी/04/2025 में अनुमत प्रचालनों के अनुसार, समुद्र मार्ग से भारत में पेट्रोलियम के आयात संबंधी अधिसूचना को 01.01.2025 से 31.12.2027 की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

[फा.सं. पीडी-25018/2/2014-एमपी]

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव (एसएम)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2025

S.O. 1542(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways notification No. S.O. 3846(E) dated 7th December 2017, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest,

hereby extends the notification for Mundra Port {M/s Adani Ports and SEZ Ltd.- Mundra} in Gujarat for import of petroleum into India by sea in accordance with operations permitted in Navigational Safety at Ports Committee (NSPC) certificate number NSPC/04/2025 dated 24.02.2025 for a period from 01.01.2025 to 31.12.2027.

[F. No. PD-25018/2/2014-MP]

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy. (SM)